मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः सी–6–5–2010–3–एकः भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–परिनिन्दा लघुशास्ति का शासकीय सेवकों की पदोन्नति पर प्रभाव।
संदर्भः–सा.प्र.विभाग का परिपत्र क सी–6–1–90–3–49, दिनांक 02.05.1990, एवं परिपत्र क्र. सी–6–2–94–3–1, दिनांक 30.06.1994,

---

शासकीय सेवकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच के समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया तथा लघुशास्तियों का पदोन्नति पर पडने वाले प्रभाव सम्बन्धी निर्देश संदर्भित परिपत्र दिनांक 02.05.90 द्वारा जारी किये गये हैं। परिनिंदा की शास्ति का पदोन्नति पर प्रभाव के सम्बन्ध में कतिपय विभागों में भ्रम की स्थिति है, अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि:–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम–10 के खण्ड (एक) में परिनिन्दा की शास्ति का प्रावधान है। यदि शासकीय सेवकों के विरूद्ध परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित की गयी है, तो उसकी पदोन्नति के सम्बन्ध में दण्ड अधिरोपित करने के बाद आयोजित भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाना चाहिये और यदि उसके पिछले अभिलेख तथा कार्य के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उसे पदोन्नति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाये, तो उसे पदोन्नत किया जा सकता है परन्तु ऐसी पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं की जा सकेगी।

2–जिन शासकीय सेवकों को **"वेतनवृद्धि रोकने"** या **"पदोन्नति रोकने"** की लघुशास्ति दी गयी हो तो लघुशास्ति की अवधि के अंतर्गत पदोन्नत नहीं किया जाये। इन व्यक्तियों को उक्त दण्ड की अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही पदोन्नत किया जाए।

27/12/2010

(अकीला हशमत)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग